ईमेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–06/2010–11 दिनांकःलखनऊःसितम्बर 28 , 2018

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः–सीसीटीएनएस पोर्टल पर ट्रायल के दौरान वादी और गवाहों, विवेचकों के सम्बन्ध में सम्मन/वारन्ट की सूचना अंकित किये जाने में आने वाली समस्या पर "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)" के अनुसार स्वंय समाधान करते हुए कार्यवाही विषयक।

सन्दर्भः–समांक पत्र दिनांकित 07.09.2018

सीसीटीएनएस पोर्टल पर ट्रायल के दौरान वादी और गवाहों, विवेचकों के सम्बन्ध में सम्मन/वारन्ट की सूचना अंकित किये जाने में आने वाली समस्या पर "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)" के अनुसार स्वंय समाधान करते हुए कार्यवाही हेतु संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही है।

2. उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना में आने वाली समस्याओं पर **"अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)"** के अनुसार स्वंय समाधान करते हुए इस मुख्यालय के पूर्व संलग्न निर्देश दिनांक 07.09.2018 के अनुसार ट्रायल के दौरान वादी और गवाहों, विवेचकों के सम्बन्ध में सम्मन/वारन्ट की सूचना अंकित करना सुनिश्चित करें।

3. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि जनपद प्रभारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से ट्रायल के दौरान वादी और गवाहों, विवेचकों के सम्बन्ध में सम्मन/वारन्ट की सूचना दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में थानों के कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) व विवेचक, थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी व जनपदीय अन्य वरिष्ठ अधिकारी को जागरूक करने के लिए निर्देशित करें साथ ही इसका पर्यवेक्षण भी नियमित रूप से करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

सम्पर्क अधिकारी–

1. श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, प्रभारी नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर (NOC), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ से सीयूजीनं0–7839858257 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

28/9

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, प्रभारी नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर (NOC) उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
4. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
5. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. सम्मन/वारंट का विकल्प कहाँ उपलब्ध है ?

सम्मन/वारंट का विकल्प, ऑनलाइन CAS में अभियोजन के अंतर्गत उपलब्ध है |

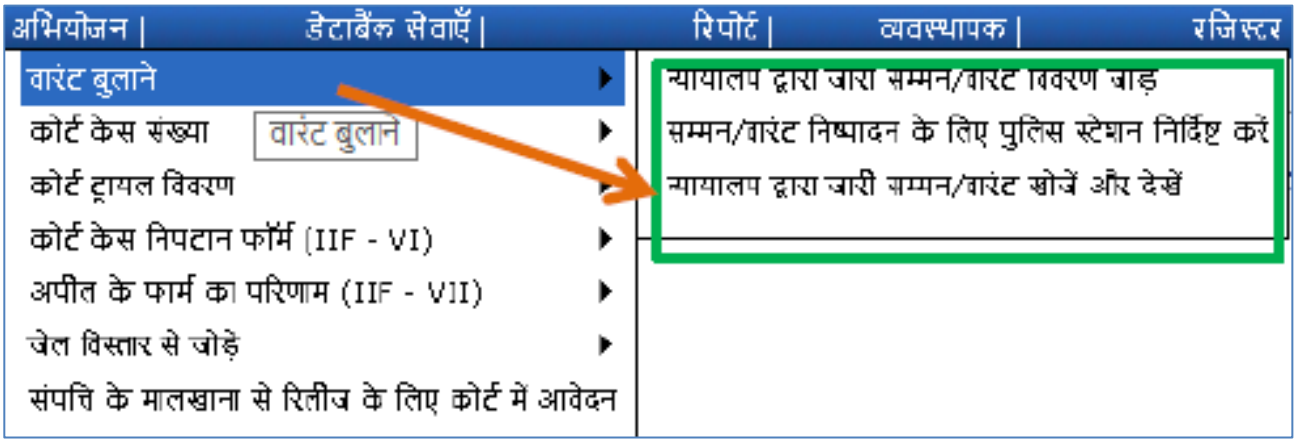

2. सम्मन/वारंट का उपयोग किस-किस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है?

अंतिम पृष्ठ पर लगाये गए चित्र से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन/वारंट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा सम्बंधित थाने को प्रेषित किया जाता है | सम्मन/वारंट से सम्बंधित सूचना, कोर्ट केस संख्या आदि जानकारी स्टेशन लेखक अथवा SHO द्वारा भरी जाएगी |

3. सम्मन/वारंट के तामील का विवरण किसके द्वारा जोड़ा जायेगा ?

अंतिम पृष्ठ पर लगाये गए चित्र से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन/वारंट की अद्यतन स्थिति, उस सम्मन/वारंट के लिए नियुक्त अधिकारी (बीट सिपाही) द्वारा भरी जाएगी |

4. सम्मन/वारंट का विवरण भरते समय FIR नहीं दिखाई देती है?

अभियोजन में कोई भी कार्य करने से पहले, कोर्ट केस संख्या डालना अनिवार्य है | थाने तक कोई भी शिकायत FIR, NCR अथवा पेटी केस संख्या से पहचानी जाती है जबकि न्यायालय में जाने पर वह शिकायत, कोर्ट केस संख्या से जानी जाती है |

यदि कोई FIR, NCR अथवा पेटी केस संख्या को कोर्ट केस संख्या प्रदान नहीं की गई है तो सम्मन/वारंट का विवरण भरने के लिए FIR, NCR अथवा पेटी केस संख्या दिखाई नहीं देगी |

5. कोर्ट केस संख्या कहाँ से दर्ज की जा सकती है ?

"अभियोजन→कोर्ट केस संख्या→कोर्ट से केस संख्या निर्दिष्ट करें" के माध्यम से FIR, NCR अथवा पेटी केस संख्या को कोर्ट केस संख्या निर्दिष्ट किया जाता है |

6. "अभियोजन→कोर्ट केस संख्या→कोर्ट से केस संख्या निर्दिष्ट करें" में कोर्ट केस संख्या के अतिरिक्त क्या जानकारी भरी जाती है ?

कोर्ट केस संख्या के अतिरिक्त कोर्ट का प्रकार, कोर्ट का नाम, स्थानांतरित है अथवा नहीं आदि जानकारी भर सकते हैं |

7. न्यायालय में चल रहे ट्रायल का विवरण कहाँ जोड़ते हैं ?

कोर्ट कांस्टेबल द्वारा न्यायालय में चल रहे ट्रायल का विवरण "अभियोजन→कोर्ट केस संख्या→कोर्ट ट्रायल विवरण" में जोड़ा जायेगा |

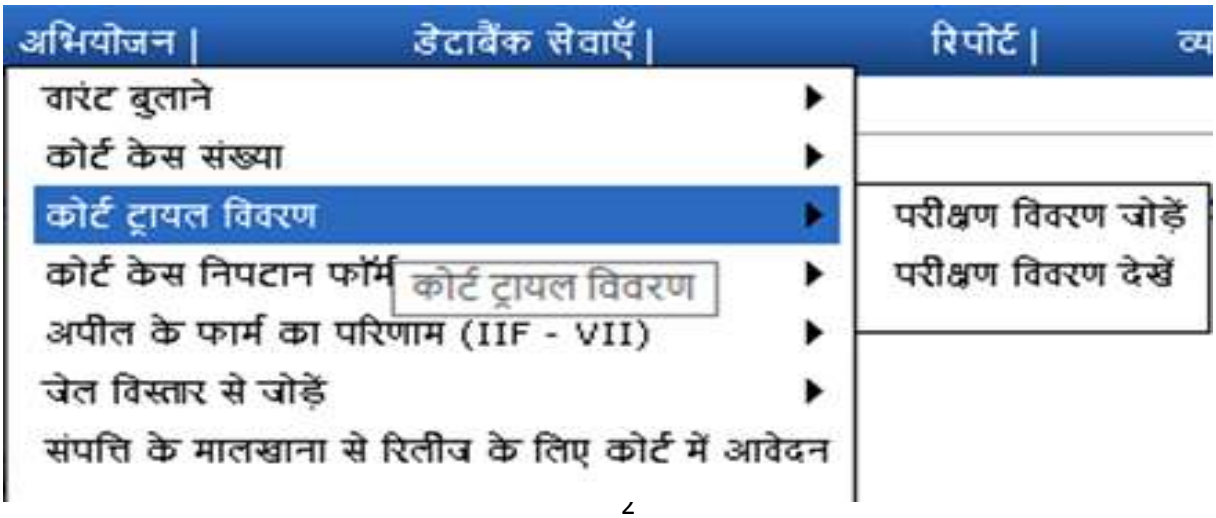

8. न्यायालय में चल रहे ट्रायल का विवरण कौन - कौन जोड़ सकता हैं ?

विवेचक, स्टेशन राइटर अथवा कोर्ट कांस्टेबल के माध्यम से न्यायालय में चल रहे ट्रायल का विवरण जोड़ा जायेगा |

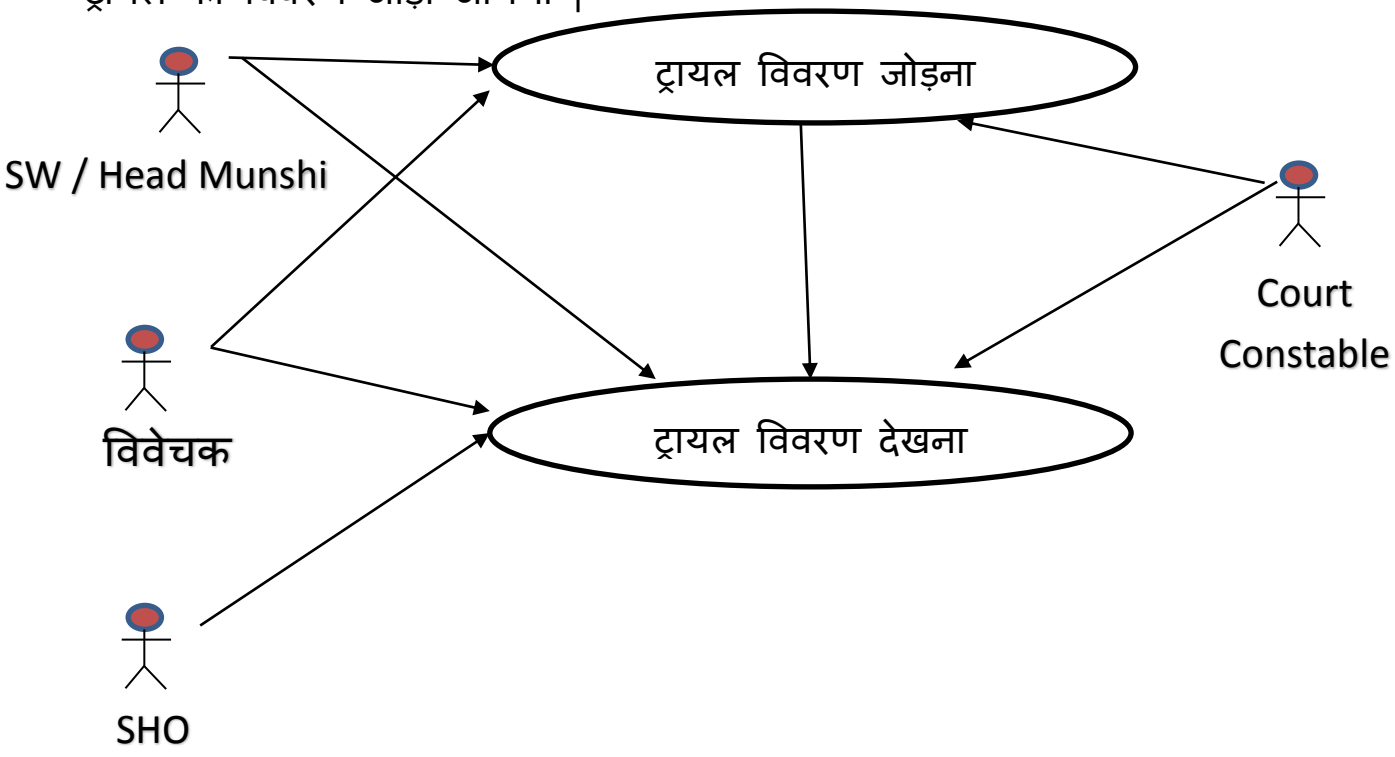

9. ट्रायल विवरण में क्या - क्या भरा जा सकता है ?

ट्रायल विवरण में केस, अभियुक्त, गवाह, विवेचक एवं ट्रायल का विवरण जोड़ा जा सकता है | यदि एक केस से जुड़े अभियुक्तों का ट्रायल अलग - अलग न्यायलय (SPLIT) में चल रहा है अथवा अलग - अलग अभियुक्तों का ट्रायल किसी एक केस के लिए एक साथ (JOINT) चल रहा है तो उसका विवरण भी यहाँ भरा जा सकता है

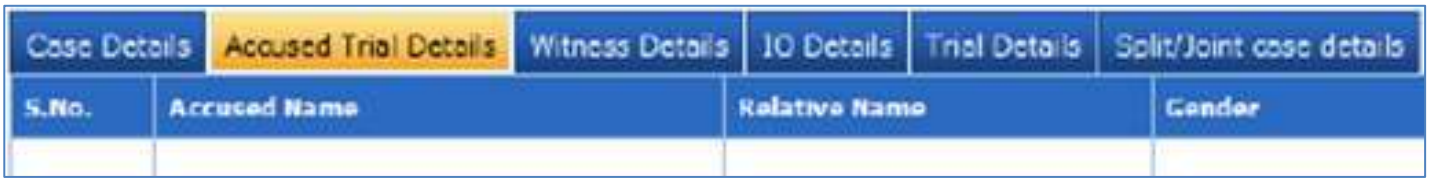

10. यदि JOINT केस चल रहा हो तो उसका कौन सा कोर्ट केस संख्या मान्य होगा ?

अलग - अलग अभियुक्तों का ट्रायल किसी एक केस के लिए एक साथ (JOINT) चल रहा है तो JOINT केस की कोर्ट केस संख्या, अन्य केस के कोर्ट केस संख्या के साथ जुड़ जाती है और उस FIR/NCR/ पेटी केस संख्या के लिए एक से अधिक कोर्ट केस संख्या प्रदर्शित होती है |

11. यदि किसी FIR/NCR/ पेटी केस संख्या के एक से अधिक कोर्ट केस संख्या हों तो किसी एक कोर्ट केस संख्या का ट्रायल विवरण, सम्मन/वारंट या अन्य विवरण किस प्रकार जोड़ा जायेगा ?

JOINT या SPLIT ट्रायल के कारण किसी एक FIR/NCR/ पेटी केस संख्या के एक से अधिक कोर्ट केस संख्या हो सकते हैं | इस परिस्थिति में उस FIR/NCR/ पेटी केस संख्या को खोज कर, उसके सम्मुख प्रदर्शित हो रहे कोर्ट केस संख्या में से वंचित कोर्ट केस संख्या पर क्लिक कर, उस कोर्ट केस संख्या से सम्बंधित ट्रायल विवरण, सम्मन/वारंट या अन्य विवरण भरा जा सकता है |

12. ट्रायल विवरण भरते समय, कोर्ट केस संख्या प्रदान करने के बाद भी FIR/NCR/ पेटी केस संख्या में अभियुक्त प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं ?

ट्रायल विवरण भरते समय, अभियुक्त गिरफ्तार होना चाहिये | IIF-5 (आरोप पत्र) भरते समय यदि अभियुक्त की स्थिति “गिरफ्तार” अथवा “गिरफ्तार नहीं किया गया” (07 वर्ष से कम सजा की स्थिति में) चयनित नहीं है तो अभियुक्त दिखाई नहीं देंगें |

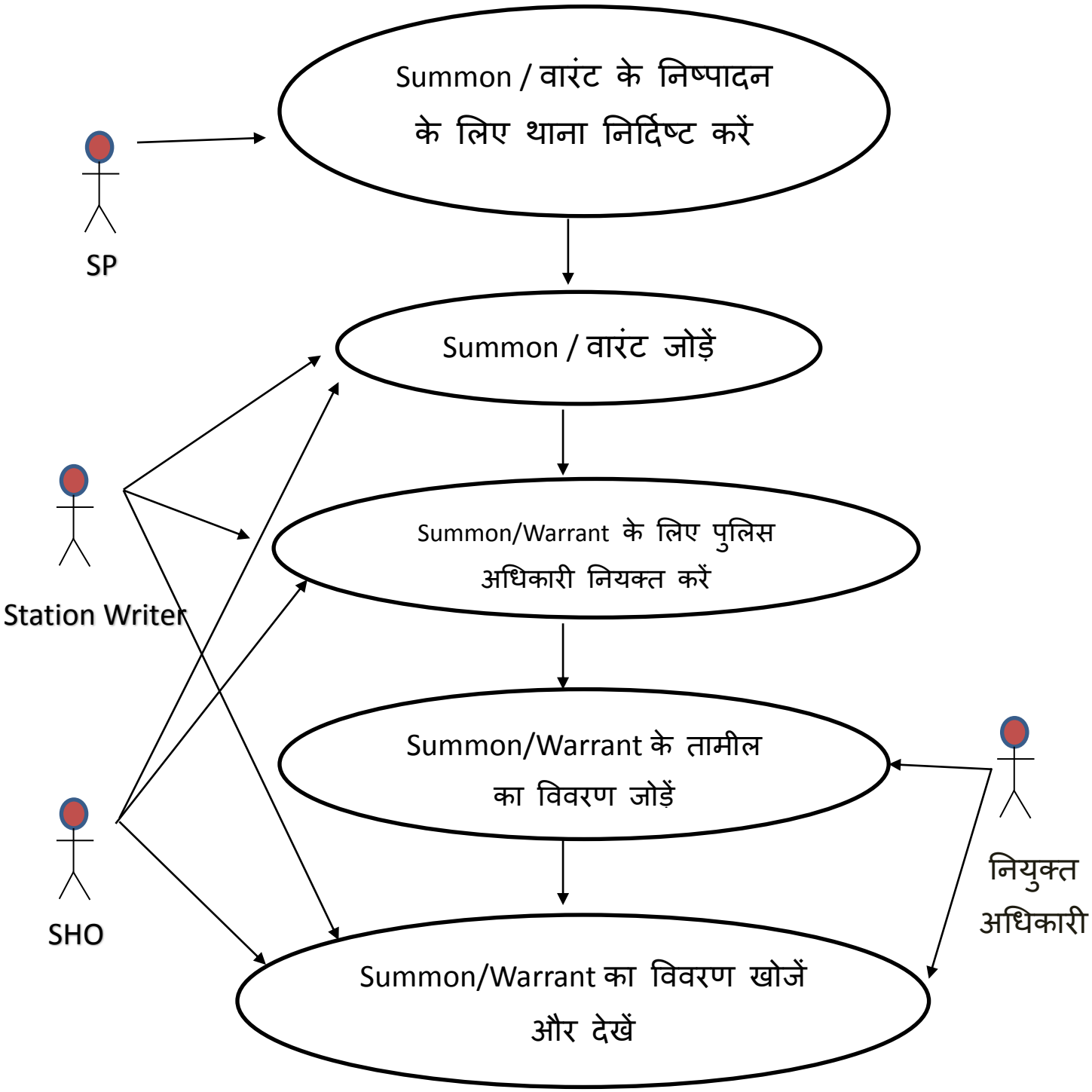
Summon / वारंट के निष्पादन के लिए थाना निर्दिष्ट करें
SP
Summon / वारंट जोड़ें
Station Writer
Summon/Warrant के लिए पुलिस अधिकारी नियक्त करें
Summon/Warrant के तामील का विवरण जोड़ें
नियुक्त अधिकारी
SHO
Summon/Warrant का विवरण खोजें और देखें